

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 29.05.2021

40 लीटर अवैध शराब के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना हथिगवा)

जनपद के थाना हथिगवां से थानाध्यक्ष श्री दूधनाथ सिंह यादव, उ0नि0 रामाधार सिंह यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के फूलमती नहर पुलिया के पास से 04 अभियुक्तों को 10-10 लीटर कच्ची अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. मंजू सरोज पत्नी संजय सरोज निवासी चतुरपुर विसहिया थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।
02. मीना देवी सरोज पत्नी राकेश सरोज निवासी चतुरपुर विसहिया थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।
03. सुखदेई सरोज पत्नी शंकर सरोज निवासी चतुरपुर विसहिया थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।
04. राजकुमार सरोज पुत्र हरनू सरोज निवासी चतुरपुर विसहिया थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 91/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम मंजू सरोज उपरोक्त।
02. मु0अ0सं0 92/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम मीना देवी सरोज उपरोक्त।
03. मु0अ0सं0 93/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम सुखदेई सरोज उपरोक्त।
04. मु0अ0सं0 94/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम राजकुमार सरोज उपरोक्त।

पुलिस टीम- थानाध्यक्ष श्री दूधनाथ सिंह यादव मय टीम थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

- जनपद के थाना रानीगंज से उ0नि0 श्री हरीन्द्र कुमार यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 135/21 धारा 363, 366, 376 भादवि व 3६५ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बाबुल पुत्र मो0 इद्रीश निवासी ग्राम टगई का पुरवा, तिलई बाजार थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार किया गया है।
- जनपद के थाना आसपुर देवसरा से थानाध्यक्ष श्री अमरनाथ राय मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 121/21 धारा 504 भादवि व 66 आईटी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 01. प्रशांत यादव उर्फ यश यादव पुत्र राम नारायण यादव 02. अरविन्द यादव पुत्र उदयभान यादव निवासीगण ग्राम लखनूडीह थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया है।

हत्या के अभियोग में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना रानीगंज)

दिनांक 27.05.2021 को वादी सुभराती उर्फ बुल्ले पुत्र मो० शफी निवासी किरावं थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज द्वारा, पारिवारिक कलह के कारण दिनांक 26.05.21 की रात्रि को लियाकत अली (पति) व उसके दो भाई रियाजुद्दीन व जियाउद्दीन के विरुद्ध उनकी पुत्री की ससुराल ग्राम तिवारीपुर थाना रानीगंज, प्रतापगढ़ में हत्या कारित करने के संबंध में थाना रानीगंज पर तहरीर दी गई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज पर मु०अ०सं० 245/21 धारा 302 भादंवि का अभियोग 03 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

थाना रानीगंज के व०उ०नि० श्री योगेश चतुर्वेदी मय टीम द्वारा उक्त अभियोग से संबंधित 03 अभियुक्तों को थाना क्षेत्र के लच्छीपुर बाजार के पास तिवारीपुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

01. लियाकत अली पुत्र वसीर अहमद निवासी तिवारीपुर थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।
02. रियाजुद्दीन पुत्र वसीर अहमद निवासी तिवारीपुर थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।
03. जियाउद्दीन पुत्र वसरी अहमद निवासी तिवारीपुर थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।

पुलिस टीम— व०उ०नि० श्री योगेश चतुर्वेदी मय टीम थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

दिनांक 29.05.2021